

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर
क्रमांक : अराज/टी.सी./NO/2026/557

दिनांक :- 17/07/26

-:: आदेश ::-

निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 1679-88 दिनांक 17.03.2026 के द्वारा निम्नलिखित अभ्यर्थी का चयन नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 के अंतर्गत नर्सिंग अधिकारी (गैर अनुसूचित क्षेत्र) के पद पर किया गया है। अभ्यर्थी को राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनस्थ सेवा नियम 1965 (यथा संशोधित नियमों) के अन्तर्गत नर्सिंग अधिकारी (गैर अनुसूचित क्षेत्र) के पद पर अस्थाई तौर पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्याधीन नियुक्ति प्रदान की जाकर इनका पदस्थापन इनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार संस्थान पर किया जाता है।

इन्हें कार्यग्रहण करने की तिथि से राज्य सरकार के नवीनतम नियम/ आदेश/परिपत्रानुसार दो वर्ष के प्रोबेशन काल में L-11 में निर्धारित नियत पारिश्रमिक (Fix Remuneration) रुपये 26500/- (छब्बीस हजार पाच सौ रुपये मात्र) प्रतिमाह कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होगा। दो वर्ष का प्रोबेशन काल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर इन्हें नर्सिंग अधिकारी के पद का नियमित पे-मेट्रिक्स L-11 का न्यूनतम वेतन एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

S. NO.	Application ID	Applicant Name	Applicant's Father Name	Applicant's Date of Birth	Applied Category	Selected Category	PLACE OF POSTING
1.	NO144467	MAYA KUMARI ROAT	NATHU LAL ROAT	17-10-1988	ST	ST-F-ANNULLED	SATELLITE HOSPITAL, HIRAN MAGRI, UDAIPUR

इन्हें प्रथमतः संबंधित नियंत्रण अधिकारी को दिनांक 03.08.2026 तक कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा नियुक्ति एवं पदस्थापन आदेश स्वतः ही निरस्त माने जायेंगे।

यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर में विचाराधीन डीबी रिट याचिका संख्या 5980/2022, 1867/2023 एवं कनेक्टेड अन्य याचिकाओं में माननीय न्यायालय द्वारा में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेंगी। माननीय न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले निर्णयों के पालनार्थ वरीयता/वरिष्ठता दोनों परिवर्तनीय होंगी।

यह पदस्थापन आदेश निम्न शर्तों एवं समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों के अध्याधीन जारी किये जा रहे हैं :-

- उक्त अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करवाये जाने से पूर्व उल्लेखित निर्धारित शर्तों के अनुसार संबंधित नियंत्रण अधिकारी जिनके अधीन अभ्यर्थी का पदस्थापन किया गया है, द्वारा पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही कार्यग्रहण करवाया जायेगा।
- नवनियुक्त अभ्यर्थी पर राज्य सरकार के नवीनतम आदेश अनुसार पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।



3. उक्त अभ्यर्थी की जन्म तारीख को उनके सैकेण्डरी के मूल प्रमाण पत्रों में उल्लेखित जन्मतिथि से सत्यापित किया जायेगा।
4. दिनांक 01.06.2002 अथवा उसके पश्चात् दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। इस आशय का शपथ पत्र संबंधित अभ्यर्थी से कार्यग्रहण के समय नियमानुसार प्राप्त किया जायेगा। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 के अनुसार शिथिलन देय होगा।
5. अभ्यर्थी द्वारा इस आदेश की प्रति का प्रिन्ट विभाग की वेबसाईट से डाउनलोड कर संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थिति देने हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है। अभ्यर्थी प्रथमतः प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक/अधीक्षक, सेटलाईट चिकित्सालय, हिरण मग्री, उदयपुर के समक्ष उनके कार्यालय में ही उपस्थिति देंगे। तत्पश्चात् ही पदस्थापन स्थान के लिये कार्यमुक्त होकर प्रस्थान करेंगे। नियंत्रण अधिकारी द्वारा संबंधित अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन से पूर्ण संतुष्ट होने पर संबंधित नियंत्रण अधिकारी के समक्ष प्रथम बार उपस्थिति होने की तिथि से राज्य सेवा में कार्यग्रहण माना जाएगा।
6. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करते समय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र, शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, जाति व अन्य प्रमाण पत्र, जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए हैं, को मूल ही प्रस्तुत करना होगा। आवश्यक सभी छाया प्रतियां स्वयं द्वारा प्रमाणित कर प्रस्तुत करनी होंगी। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित होगा एवं पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र संबंधित जिले के उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी होने पर ही मान्य होंगे।
7. राजकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारी अपने मूल पद से विधिवत कार्यमुक्त होकर ही नव पदस्थापन स्थान पर उपस्थित होंगे।
8. गर्भवती महिलाओं की कार्यग्रहण अवधि/मातृत्व अवकाश के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
9. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6 (19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। विवाहित अभ्यर्थी द्वारा यदि विवाह पंजीयन नहीं करवाया है तो वे इस नियुक्ति के पात्र नहीं माने जायेंगे। उक्त परिपत्र जारी होने से पूर्व विवाहित अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ पत्र नॉन-ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।
10. नवचयनित अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार से धूम्रपान/नशा नहीं किया जावेगा एवं उनके द्वारा विवाह के दौरान दहेज नहीं लिया गया है/नहीं लिया जाएगा।
11. अभ्यर्थी द्वारा कार्यग्रहण करते समय राजस्थान नर्सिंग कॉंसिल में वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. वरिष्ठता (सीनियोरिटी) अंतिम वरीयता सूची के अनुसार देय होंगी।
13. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र/दस्तावेज-फर्जी/परिवर्तित/कूट रचित पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जायेंगे। साथ ही दोषी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। मूल प्रमाण पत्र संबंधित संस्था से सत्यापन होने के पश्चात् सही पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को लौटाये जायेंगे। अन्य परिस्थिति में प्रमाण पत्र वापस नहीं किये जायेंगे।



14. अन्य राज्यों से शैक्षणिक/व्यवसायिक योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी की अंकतालिकाओं/अन्य दस्तावेज की जांच की आवश्यकता होने पर अभ्यर्थी के स्वयं के खर्च पर करवाई जायेगी।

15. यह नियुक्ति आदेश राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अधीन जारी किये जा रहें हैं।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)

क्रमांक : अराज/टी.सी./NO/2026/557

दिनांक :- 12/07/26

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राज0 जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0 जयपुर
3. निजी सचिव, मिशन निदेशक (एनएचएम) मुख्यालय
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-3) विभाग, राज0 जयपुर
5. निदेशक (जन स्वा0/प.क.) मुख्यालय
6. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं प0क0 संस्थान, जयपुर को उनकी वेबसाइट पर अपलोड हेतु
7. अतिरिक्त महाधिवक्ता, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को माननीय अवमानना याचिका संख्या 517/2024 के क्रम में।
8. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक/अधीक्षक, सेटलाईट चिकित्सालय, हिरण मग्री, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि

• अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करवाते हुए पूर्ण वस्तुस्थिति निदेशालय को Email : dmhs.tcng@gmail.com पर तत्काल भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

• आरक्षण का लाभ:- जिस जाति वर्ग में आरक्षण के आधार पर चयन हुआ है, उस जाति का प्रमाण पत्र राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थी के पिता के नाम से जारी किया हुआ ही मान्य होगा। पति एवं पिता दोनों के संयुक्त नाम से जारी अथवा पति के नाम से जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। यदि पिता के नाम से राजस्थान राज्य का जारी जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो पिता के नाम से राजस्थान राज्य का जारी मूल निवास प्रमाण पत्र, जिसमें जाति का स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य है।

I. विशेष योग्यजन :- अभ्यर्थी का चयन एसटी श्रेणी में हुआ है, उनके ज्वाइनिंग के समय यदि अभ्यर्थी किसी भी रूप में शारिरिक विकलांगता से प्रभावित पाया जाता है तो उसकी ज्वाइनिंग न लेकर उसके संबंध में निदेशालय को अवगत कराये।

• योग्यता:- अभ्यर्थी की शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार होनी चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक योग्यता जिस शिक्षा बोर्ड से प्राप्त की गई है यदि वह बोर्ड राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा वर्ष 2020 में जारी की गई अनुदेशिका अनुसार मान्यता प्राप्त नहीं पाया जाये तो कार्यग्रहण नहीं कराये। राजस्थान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्डों की सूची माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि चयन सूची में दिये गये प्राप्तांकों से भिन्न प्राप्तांक अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अंकतालिकाओं में पाये जाये तो कार्यग्रहण नहीं कराये। व्यावसायिक योग्यता के लिये अभ्यर्थी का आवेदन किये जाने की तिथि एवं नियुक्ति

7

पर उपस्थिति की दिनांक को भी राजस्थान नर्सिंग कॉंसिल में पंजीयन होना आवश्यक है।

- आयु सीमा:- इस संबंध में जारी विज्ञप्ति अनुसार जांच की जाये।
- संतान संबंधी शपथ पत्र:- अभ्यर्थी से 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक जीवित संतान नहीं होने का शपथ पत्र लिया जावे। इस संबंध में विज्ञप्ति में उल्लेखित विवरण की पालना सुनिश्चित की जावे। शपथ पत्र में जीवित संतान की जन्म तिथि का उल्लेख होना चाहिये। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 के अनुसार शिथिलन देय होगा।
- विभाग में पूर्व में भी उक्त पदों की भर्तियाँ की जाती रही हैं, उस समय भी ज्वाइनिंग के समय जो सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाती रही है, उनका भी ध्यान रखते हुये ज्वाइनिंग प्रक्रिया सुनिश्चित करायें।
- यदि आपको अभ्यर्थी के चयन में किसी भी स्तर पर कोई संदेह उत्पन्न होता है, कोई दस्तावेज फर्जी अथवा कूट रचित पाये जावे तो उस संबंध में तत्काल निदेशालय को अवगत करायें।
- चयन सूची में दिये गये डेटा एवं उपस्थिति के दौरान अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में उल्लेखित जानकारी अथवा डेटा में भिन्नता पाई जाती है, तो ऐसे अभ्यर्थी की उपस्थिति नहीं ली जाये एवं वस्तुस्थिति से तत्काल अवगत करायें। ऐसे अभ्यर्थी के संबंध में नियमानुसार वस्तुस्थिति स्पष्ट किये जाने के पश्चात ही संबंधित अभ्यर्थी को राज्य सेवा में कार्यग्रहण करने की अनुमति दी जाएगी।
- मूल प्रमाण पत्र संबंधित संस्था से सत्यापन होने के पश्चात् सही पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को लौटाये जाये। अन्य परिस्थिति में प्रमाण पत्र वापस नहीं किये जायें।

9. सम्बन्धित अभ्यर्थी को पालनार्थ

10. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु

11. आदेश/रक्षित पत्रावली



निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर